

**अधिसूचना संख्या 201/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1988(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.267(ई) दिनांक 29 मार्च, 1994 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत जारी की गई, केन्द्रीय सरकार ने क्रम संख्या 17 पर, "अलर्ट-इंडिया (कुष्ठ शिक्षा, पुनर्वास और उपचार संघ-भारत), 6बी, मुख्यध्यापक भवन, तीसरी मंजिल, रोड नं.24, सायन (पश्चिम), बॉम्बे-400022" द्वारा, "(क) ग्रेटर बॉम्बे और न्यू बॉम्बे में शहरी कुष्ठ नियंत्रण परियोजनाओं के तहत कुष्ठ रोगियों, (ख) न्यू बॉम्बे में टीबी नियंत्रण परियोजना के तहत टीबी रोगियों और (ग) ऐरोली, बॉम्बे में एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परियोजना चलाने" का पता लगाने, उपचार और इलाज के लिए, कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ.217(ई) दिनांक 17 मार्च, 1997 के तहत कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ.305(ई) दिनांक 29 मार्च, 2000 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ.683(ई) दिनांक 13 जून, 2003 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1829(ई) दिनांक 26.10.2006 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 636(ई) दिनांक 22 मार्च, 2010 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 645(ई) दिनांक 12 मार्च, 2013 के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ.21(ई) दिनांक 6 जनवरी, 1995 द्वारा अनुमानित लागत 190.32 लाख रुपये से बढ़ाकर 270.02 लाख रुपये कर दी गई थी, जिसमें 12.52 लाख रुपये की एक कोष निधि भी शामिल है और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ. 645(ई) दिनांक 12 मार्च, 2013 द्वारा अनुमानित लागत 270.02 लाख रुपये से बढ़ाकर 12.52 लाख रुपये की एक कोष निधि भी शामिल है, जिसमें 65 लाख रुपये की एक कोष निधि भी शामिल है, 17.34 करोड़ रुपये कर दी गई थी;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 21 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा "(क) ग्रेटर बॉम्बे और न्यू बॉम्बे में शहरी कुष्ठ नियंत्रण परियोजनाओं के तहत कुष्ठ रोगियों का पता लगाने, उपचार और इलाज के लिए; (ख) न्यू बॉम्बे में टीबी नियंत्रण परियोजना के तहत टीबी रोगियों; और (ग) ऐरोली, बॉम्बे में एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परियोजना चलाने के लिए" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जिसे "अलर्ट-इंडिया (कुष्ठ शिक्षा, पुनर्वास और उपचार संघ-भारत), 6बी, मुख्य अध्यापक भवन, तीसरी मंजिल, रोड नं.24, सायन (डब्ल्यू), बॉम्बे-400022" द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 65 लाख रुपये की एक कोष निधि सहित 17.34 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में चलाया जा रहा है।